

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)

क्रमांक प.5(10)ग्रावि/अनु-8/सीएमआईएस/2018

जयपुर, दिनांक


30 APR 2018

आदेश

राजस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आपके द्वार -2018 का आयोजन 1 मई 2018 से 30 जून 2018 तक की अवधि में किया जाना प्रस्तावित है। इस अभियान में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की संबंधित योजनाओं के कार्यों हेतु निम्नलिखित प्रभारी अधिकारी नियुक्ति किये जाते हैं:-


अनुभाग	नाम अधिकारी	पद	मोबाईल नं०	ई-मेल
पंचायतीराज	श्री इकबाल खान	संयुक्त शासन सचिव (प्रशा-1) पंचायतीराज	9829871144	rajpr.dsadm1@rajasthan.gov.in
महात्मा गांधी नरेगा	श्री राजेन्द्र केन,	परि.निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव ईजीएस	7665750000	pdre_rdd@yahoo.com
ग्रामीण विकास	श्री के.के.शर्मा	अधीक्षण अभियन्ता, ग्रा.वि.	9166625337	seprd123@gmail.com

उक्त प्रभारी अधिकारी अपने अनुभाग से संबंधित योजनाओं की मॉनिटरिंग व प्रगति प्रपत्र में सूचना अपलोड कराने के समस्त उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे एवं राजस्व विभाग को प्रेषित की जाने वाली सूचना ई-मेल आईडी dsrevenue1@msn.com पर भिजवायेंगे।


(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
- 2 निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान सरकार।
- 3 निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
- 4 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग।
- 5 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
- 6 जिला कलक्टर, समस्त, राजस्थान।
- 7 संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन) ग्रामीण विकास।
- 8 परियोजना निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, (ईजीएस)।
- 9 संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन-1) पंचायतीराज।
- 10 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राज०।
- 11 अधीक्षण अभियन्ता (ग्रा.वि.)।
- 12 रक्षित पत्रावली।


परि. निदेशक एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)
30/04/18